



2026:AHC:30800

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट - ए सं. - 80 सन् 2026

कैलाश बाबू कश्यप

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता(गण)	: सुशील कुमार
प्रतिवादी के अधिवक्ता(गण)	: चंदन शर्मा, सी.एस.सी.

न्यायालय सं. - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सुशील कुमार और प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता श्री चंदन शर्मा की ओर से श्री शुभम त्रिपाठी (एओआर संख्या ए/एस0315/2021) को सुना।
2. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उन्हें 01.08.1987 को क्लर्क के रूप में नियुक्त किया गया था और 30.06.2018 को वरिष्ठ सहायक के पद पर सेवानिवृत्त हुए थे। रिट याचिकाकर्ता ने ब्याज सहित 10, 16 और 26 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद एसीपी का लाभ देने की मांग की है।
3. दूसरी ओर विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि रिट याचिकाकर्ता के दावे को प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पहली बार में निर्णय की आवश्यकता है।
4. बार में इस प्रकार की गई प्रस्तुतियों पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण रिट याचिकाकर्ता को रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक व्यापक प्रतिनिधित्व को प्राथमिकता देने का निर्देश देने के लिए किया गया है, जो उक्त प्रस्ताव पर तीन महीने की अवधि के भीतर कानून के अनुसार रिट याचिकाकर्ता के दावे पर आदेश की प्रमाणित प्रति के पेश करने की तारीख से, सख्ती से विचार करने के लिए आगे बढ़ेगा।
5. आज दायर किए गए निर्देशों को रिकॉर्ड पर लिया जाता है और परिशिष्ट 'ए' के रूप में चिह्नित किया जाता है।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

फरवरी 11, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"